2025 : CGHC : 50045–DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Gemini said

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दोषमुक्ति अपील क्रमांक 84 वर्ष 2016

अनिल खंडेलवाल, आत्मज स्वर्गीय दशरथ लाल खंडेलवाल, निवासी उसलापुर रोड, 36 सिटी मॉल के पास, मुंगेली रोड, बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।

---- **अपीलार्थी**

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– थाना प्रभारी, थाना– सिविल लाइंस, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
2. विक्की @ मनोहर सिंह, आत्मज वंश बहादुर सिंह, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी मधुबन नारियल कोठी, थाना कोतवाली, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. विजय चौधरी, आत्मज मोती लाल चौधरी, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी मन्नू चौक, टिकरापारा, थाना कोतवाली, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।

---- **प्रत्यर्थीगण**

अपीलार्थी हेतु: श्री विमलेश बाजपेयी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 1–राज्य हेतु: श्री एस.एस. बघेल, उप शासकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 हेतु: श्री समरथ सिंह मरहास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 3 हेतु: श्री अरविंद सिंह, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 31 वर्ष 2017

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दंडाधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।

---- **अपीलार्थी**

विरुद्ध

1. विक्की @ मनोहर सिंह, आत्मज वंश बहादुर सिंह, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी मधुबन नारियल कोठी, थाना कोतवाली, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।
2. विजय चौधरी, आत्मज मोतीलाल चौधरी, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी मन्नू चौक, टिकरापारा, थाना कोतवाली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---- **प्रत्यर्थीगण**

अपीलार्थी हेतु: श्री एस.एस. बघेल, उप शासकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 हेतु: श्री समरथ सिंह मरहास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 हेतु: श्री अरविंद सिंह, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा: रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

08/10/2025

1. अपीलार्थी अनिल खंडेलवाल ने तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 63/2014 में पारित आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 16.05.2016 के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 के तहत दोषमुक्ति अपील क्रमांक 84/2016 प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 455, 394, 307, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया है।

2. अपीलार्थी–राज्य ने तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 63/2014 में पारित आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 16.05.2016 के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 378(1) के तहत दोषमुक्ति अपील क्रमांक 31/2017 प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 455, 394, 307, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. चूंकि उपरोक्त दोनों दोषमुक्ति अपीलें एक ही निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं, इसलिए उन्हें संबद्ध किया गया और एक साथ सुना गया, तथा इस साझा निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता अनिल खंडेलवाल, आत्मज स्वर्गीय दशरथ लाल खंडेलवाल, निवासी 36 मॉल के पास, उसलापुर, जो होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके वृद्ध माता–पिता श्रीमती विमला देवी खंडेलवाल और दशरथ लाल खंडेलवाल शिकायतकर्ता के घर के बगल में ही एक अलग घर में रहते थे। दिनांक 22/11/2013 को, लगभग रात्रि 1:30 बजे, शिकायतकर्ता अपने होटल से घर लौटा, भोजन किया और सोने चला गया। लगभग उसी समय, दो अज्ञात आरोपी उक्त घर पर आए, गेट से भीतर घुसे और दरवाजे की घंटी बजाई। इसे कामवाली बाई समझकर, पीड़िता विमला देवी खंडेलवाल ने दरवाजा खोला, जिसके बाद दोनों आरोपी जबरन घर में घुस गए। उन्होंने चाकू दिखाया, दंपत्ति से पैसों की मांग की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जब मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल ने विरोध किया, तो आरोपियों ने हत्या के इरादे से दंपत्ति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें

आई। जब घायल विमला देवी ने बीच–बचाव करने की कोशिश की, तो उनके पेट में भी चाकू मारा गया और तत्पश्चात हमलावरों द्वारा उन्हें एक कमरे के भीतर बंद कर दिया गया। आरोपी इसके बाद मृतक की कलाई घड़ी और मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए।दशरथ लाल खंडेलवाल को श्री राम केयर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ परीक्षण के उपरांत डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विमला देवी को भी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी कमर पर चाकू का गंभीर घाव पाया गया। उक्त घटना के आधार पर प्रदर्श पी–7 के माध्यम से मर्ग सूचना क्रमांक 76/2013 दर्ज की गई। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता द्वारा थाना सिविल लाइन में दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर, प्रदर्श पी–8 के माध्यम से दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 458, 394, 307, 302 और 34 के तहत अपराध क्रमांक 726/2013 दर्ज किया गया। घायल विमला देवी का चिकित्सा प्रतिवेदन, डॉक्टर द्वारा प्रदर्श पी–2 के माध्यम से तैयार किया गया, जिसमें बाएं कटि क्षेत्र में लगभग 6 सेमी x 4 सेमी x 10 सेमी गहरा चाकू का घाव पाया गया, जो पेरिटोनियम तक फैला हुआ था और अत्यधिक रक्तस्राव दर्ज किया गया था। पटवारी द्वारा प्रदर्श पी–4 के माध्यम से नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रदर्श पी–5 के माध्यम से स्थल निरीक्षण पंचनामा तैयार किया गया। मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए सिम्स, बिलासपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. सावन (अ.सा.–4) ने प्रदर्श पी–17 के माध्यम से मृतक के शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खरोंच/रगड़ :–

(1) 12 x .5 सेमी, जांघ के सामने बाईं ओर तिरछा स्थित।

गुम चोट :–

(1) 3 x 2 सेमी, हाथ के पृष्ठ भाग (dorsum) पर पार्श्व में बाईं ओर।

(2) 2.5 x 2 सेमी, दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर कलाई के जोड़ के नीचे।

कटा हुआ घाव :–

(1) 2 x 1 सेमी, तर्जनी और अंगूठे के बीच, बाएं हाथ के अंगूठे की समीपस्थ अंगुलास्थि की हड्डी पर।

(2) 1 x .5 सेमी, 1 x 1/2, 1 x 1/2, बाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा अंगुली के पोरों पर हथेली की ओर।

(3) 2.5 x 1 x मांसपेशी की गहराई तक, बाएं हाथ के कलाई के जोड़ के पृष्ठ

भाग पर मध्य पार्श्व में।

(4) आर–पार वेधन घाव: प्रवेश घाव 3 x 2 सेमी, कलाई के जोड़ से 3 सेमी ऊपर अग्रबाहु (forearm) के निचले छोर पर बाहरी हिस्से में; निकास घाव 2.5 x 2 सेमी, कलाई के जोड़ से 4 सेमी ऊपर अग्रबाहु के भीतरी हिस्से पर।

(5) 1 x 1/2 सेमी, दाहिने हाथ की कनिष्ठा अंगुली के पोर पर हथेली की ओर।

(6) 1 x 1/2 सेमी, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली के पोर पर हथेली की ओर।

(7) 1 x 1/2 सेमी, दाहिनी तर्जनी अंगुली के पोर पर हथेली की ओर।

(8) 3 x 2 सेमी x उदर गुहा तक गहरा, पेट के निचले हिस्से में नाभि से 7 सेमी नीचे, अंडाकार आकृति में क्षैतिज रूप से स्थित, जिससे आंतें बाहर निकल आई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) 2.5 x 1 सेमी x उदर गुहा तक गहरा, अंडाकार आकृति, नाभि से 5 सेमी ऊपर, दाहिनी ओर 10 वीं पसली के नीचे, मध्य रेखा से 3 सेमी बाईं ओर तिरछा स्थित।

(10) 3 x 1 सेमी x उदर गुहा तक गहरा, नाभि से 7 सेमी ऊपर, दाहिनी ओर 10 वीं पसली के नीचे, मध्य रेखा से 4 सेमी बाईं ओर तिरछा स्थित।

(11) 3 x 1 सेमी x उदर गुहा तक गहरा, बाएं ऊपरी पेट में, बाएं चूचुक (nipple) से 9 सेमी नीचे, मध्य रेखा से 4 सेमी बाईं ओर तिरछा स्थित।

(12) 3 x 1 सेमी x उदर गुहा तक गहरा, बाएं ऊपरी पेट में, बाएं चूचुक से 12 सेमी नीचे, मध्य रेखा से 6 सेमी बाईं ओर तिरछा स्थित।

डॉक्टर ने राय दी है कि मृत्यु का कारण कई बार चाकू घोंपे जाने के परिणामस्वरूप हुआ रक्तस्रावी आघात है।

5. थाना प्रभारी, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर द्वारा पहचान कार्यवाही हेतु मांग–पत्र तहसीलदार, बिलासपुर को दिनांक 25.03.2014 को अपराह्न 2 बजे प्रदर्श पी–11 के माध्यम से भेजा गया और प्रदर्श पी–6 के माध्यम से पहचान कार्यवाही आयोजित की गई, जिसमें घायल विमला देवी ने अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों की पहचान की। आरक्षक से खून से सनी साड़ी, पेटीकोट और गमछा

प्रदर्श पी–12 के माध्यम से जब्त किए गए। प्रदर्श पी–13 के माध्यम से गौरव शर्मा का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के प्रकणीकरण कथन के आधार पर प्रदर्श पी–14 के माध्यम से मोटर–साइकिल और आरसी बुक जब्त की गई। राकेश कुशवाहा का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत प्रदर्श पी–15 के माध्यम से दर्ज किया गया। अनिल खंडेलवाल द्वारा प्रदर्श पी–15 (द्वितीय प्रदर्श पी–15) के माध्यम से देहाती प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।श्रीमती रेशमा बानो उर्फ मुस्कान उर्फ गुड़िया का पुलिस कथन प्रदर्श पी–16 के माध्यम से दर्ज किया गया। रेशमा बानो का प्रकणीकरण कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत प्रदर्श पी–17 के माध्यम से दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी विजय चौधरी का प्रकणीकरण कथन दिनांक 25.03.2014 को अपराह्न 14:30 बजे प्रदर्श पी–19 के माध्यम से दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी विक्की @ मनोहर सिंह के प्रकणीकरण कथन के आधार पर खून के धब्बों वाला चाकू, खून के धब्बों वाली फुलशर्ट और जींस पैंट प्रदर्श पी–20 के माध्यम से जब्त किए गए। प्रत्यर्थी विजय चौधरी के प्रकणीकरण कथन के आधार पर खून के धब्बों वाली फुल पैंट और खून के धब्बों वाला चाकू प्रदर्श पी–21 के माध्यम से जब्त किए गए। पंजीकृत स्वामी से मोटर–साइकिल प्रदर्श पी–22 के माध्यम से जब्त की गई। प्रत्यर्थी विजय चौधरी से टाइटन घड़ी प्रदर्श पी–23 के माध्यम से जब्त की गई। प्रत्यर्थी विक्की @ मनोहर सिंह को दिनांक 25.3.2014 को गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श पी–24 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। प्रत्यर्थी विजय चौधरी को दिनांक 25.03.2014 को गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श पी–25 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। विमला देवी की खून से सनी चादर, खून से सना तकिया और खून से सनी चादर घटनास्थल से प्रदर्श पी–26 के माध्यम से जब्त की गई। नमित चौबे का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत प्रदर्श पी–26 के माध्यम से दर्ज किया गया। मर्ग सूचना प्रदर्श पी–28 के माध्यम से दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी–29 के माध्यम से तैयार किया गया। मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श पी–32 के माध्यम से तैयार किया गया। किशोर जयंत पटेल का प्रकणीकरण कथन प्रदर्श पी–59 के माध्यम से दर्ज किया गया। किशोर जयंत उर्फ जसवंत पटेल से मोबाइल प्रदर्श पी–60 के माध्यम से जब्त किया गया। किशोर जयंत पटेल को दिनांक 27.03.2014 को गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श पी–61 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी–70) के अनुसार, घटनास्थल से जब्त वस्तु 'C' चादर, वस्तु 'D' तकिए का कवर, घायल विमला देवी से जब्त वस्तु 'H1' साड़ी, वस्तु 'H2' पेटीकोट, वस्तु 'H3' गमछा, मृतक से जब्त वस्तु 'I1' कुर्ता, वस्तु 'I2' बनियान, वस्तु 'I4' धोती, प्रत्यर्थी विक्की से जब्त वस्तु 'J' जैकेट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और वस्तु 'K' पैंट पर मानव रक्त पाया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त विजय चौधरी से जब्त वस्तु 'A' पैंट और वस्तु 'B' चाकू पर रक्त पाया गया।

6. विवेचना के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्तों ने धन प्राप्त करने के हेतु से अपराध कारित किया था। विवेचना पूर्ण होने पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को सुपुर्द कर दिया, जहाँ इसे सत्र प्रकरण क्रमांक 63/2014 के रूप में पंजीकृत किया गया और तत्पश्चात विधि के अनुसार विचारण हेतु तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

7. अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 455, 394, 307, 302 और 201 के तहत आरोप विरचित किए गए, जिन्हें उन्हें पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और झूठा फंसाए जाने का अभिकथन किया। अभियुक्तों ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

8. अपराध सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 22 साक्षियों का परीक्षण किया और 70 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए। अभियुक्तों–प्रत्यर्थियों ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं किया और न ही अपने मामले के समर्थन में कोई दस्तावेज़ प्रदर्शित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन के उपरांत, अपने निर्णय दिनांक 16.05.2016 के द्वारा प्रत्यर्थियों को भा. दं. सं. की धारा 455, 394, 307, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया। अत: ये दोषमुक्ति अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

10. दोषमुक्ति अपील क्रमांक 84/2016 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विमलेश बाजपेयी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों और उनके साक्ष्य पर भरोसा न करके विधि के प्रतिकूल कार्य किया है। विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उन विधिक साक्ष्यों की उपेक्षा करने में विधिक त्रुटि की है, जिसमें घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3) द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की विधिवत पहचान की गई थी। वह आगे यह तर्क देते हैं कि विचारण न्यायालय ने अतिरिक्त तहसीलदार जय उरांव (अ.सा.–6) के साक्ष्य पर भरोसा न करके भी गंभीर भूल की है, जिन्होंने पहचान कार्यवाही (प्रदर्श पी–6) आयोजित की थी और विधि के अनुसार दस्तावेजों एवं पहचान प्रक्रिया को विधिवत सिद्ध किया था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों से चाकुओं की जब्ती और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की त्रुटिपूर्ण रूप से अनदेखी की है, जो उनमें से एक पर रक्त की उपस्थिति दर्शाती है। वह

यह भी प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद उन चिकित्सा साक्ष्यों की भी अनदेखी की है जिन्होंने अपराध के कारित होने को सिद्ध किया है। विचारण न्यायालय को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभियोजन साक्षियों द्वारा सिद्ध किए गए कथनों एवं दस्तावेजों पर भरोसा करना चाहिए था और उसे प्रत्यर्थी–अभियुक्तों को मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल की हत्या और लूट के जघन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध करना चाहिए था। अतः, यह दोषमुक्ति अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और प्रत्यर्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 307/34 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

11. दोषमुक्ति अपील क्रमांक 31/2017 में अपीलार्थी–राज्य की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री एस.एस. बघेल यह तर्क देते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय अवैध, अनुचित और दोषपूर्ण है, और इसलिए इसे अपास्त किया जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसके आधार पर अभियुक्त/प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 455, 394, 307, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पात्र हैं। वह आगे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय साक्ष्य का उसके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहा और अनुमानों एवं अटकलों का शिकार हो गया। विद्वान विचारण न्यायालय को यह समझना चाहिए था कि घटना की घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3) ने प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तों के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य दिए हैं। वह यह भी तर्क देते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि मृतक और पीड़िता को आई चोटें अनिल खंडेलवाल (अ.सा.–11), श्रीमती कुसुम खंडेलवाल (अ.सा.–10), मुकेश गंजू (अ.सा.–18) और डॉ. सावन (अ.सा.–4) द्वारा सिद्ध की गई हैं, जिन्होंने मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–17) और पीड़िता की चिकित्सा प्रतिवेदन रिपोर्ट दी थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अतिरिक्त तहसीलदार जय उरांव (अ.सा.–6) द्वारा आयोजित पहचान कार्यवाही (प्रदर्श पी–6) पर अविश्वास किया है, जिसमें पीड़िता विमला देवी खंडेलवाल ने अभियुक्त व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान की थी। अतः, यह दोषमुक्ति अपील स्वीकार की जानी चाहिए और अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण को भा. दं. सं. की धारा 302/34 और 307/34 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

12.दूसरी ओर, प्रत्यर्थी विक्की @ मनोहर सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री समरथ सिंह मरहास और प्रत्यर्थी विजय चौधरी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद सिंह यह तर्क देते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय न्यायसंगत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और उचित है, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के सतर्क और उचित मूल्यांकन पर आधारित है, और इस न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार किया है, जिसमें घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3) और रेशमा बानो (अ.सा.–12) के बयान शामिल हैं, और प्रत्यर्थीगण को भा. दं. सं. की धारा 455, 394, 307, 302 और 201 के आरोपों से सही रूप में दोषमुक्त किया है, यह मानते हुए कि अभियोजन आरोपों को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई विकृति या अवैधता नहीं है जो हस्तक्षेप की मांग करती हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित घटना 22.11.2013 को हुई थी। हालांकि, प्रत्यर्थी विक्की @ मनोहर सिंह का प्रकणीकरण कथन 14:00 बजे और प्रत्यर्थी विजय चौधरी का उसी तिथि को 14:30 बजे का प्रकणीकरण कथन केवल 25.03.2014 को दर्ज किया गया था, अर्थात चार महीने से अधिक की देरी के बाद। पहचान कार्यवाही के लिए मांग–पत्र थाना प्रभारी, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर द्वारा तहसीलदार, बिलासपुर को भेजा गया था और तहसीलदार को यह 25.03.2014 को दोपहर 2:00 बजे प्राप्त हुआ था। पहचान कार्यवाही उसी दिन दोपहर 3:55 बजे अतिरिक्त तहसीलदार जय उरांव (अ.सा.–6) द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें घायल साक्षी, श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3) ने कथित तौर पर प्रत्यर्थीगण की पहचान हमलावरों के रूप में की थी। बयानों को दर्ज करने और पहचान कार्यवाही कराने में चार महीने से अधिक की देरी, अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी तर्कसंगत स्पष्टीकरण या औचित्य के बिना, पहचान की विश्वसनीयता और समग्र अभियोजन मामले को गंभीर रूप से कमजोर करती है। समय का यह अंतराल एक सुदृढ़ धारणा पैदा करता है कि पहचान और संबंधित साक्ष्य कथित अपराध में प्रत्यर्थीगण को झूठा फंसाने के लिए गढ़े गए और उनमें जोड़–तोड़ किया गया हो सकता है। वे आगे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि निरीक्षक एल.पी. द्विवेदी (अ.सा.–19), जिन्होंने घायल साक्षी का बयान दर्ज किया था, ने पुष्टि की है कि श्रीमती विमला देवी ने घटना के अगले दिन अपना बयान दिया था। बयान (प्रदर्श डी–1) में दर्ज है कि दोनों लड़कों ने अपने चेहरे गर्दन से सिर तक स्कार्फ से ढके हुए थे; उनमें से एक ने चश्मा पहना हुआ था। उन्होंने स्मरण किया कि दोनों लड़के लगभग 24–25 साल के प्रतीत हो रहे थे और दुबले–पतले थे। उनकी शारीरिक बनावट गुड्डा नाम के एक चालक से मिलती थी जिसने पहले उनके यहाँ काम किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीमती विमला देवी के प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने कंडिका 9 में स्वीकार किया कि उनके मूल पुलिस बयान में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि हाथापाई के दौरान हमलावरों के चेहरे को ढकने वाले स्कार्फ हट गए थे जिससे वह अभियुक्तों की पहचान करने में सक्षम हुई। यह एक महत्वपूर्ण लोप है, क्योंकि ऐसा तथ्य उनकी पहचान की विश्वसनीयता को तात्त्विक रूप से पुष्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करता। इसके अलावा, अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 12 में, श्रीमती विमला देवी ने स्वीकार किया कि पहचान कार्यवाही के दौरान, प्रस्तुत किए गए सभी व्यक्तियों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, और उन्हें ढकने के लिए इस्तेमाल की गई चादर केवल गर्दन तक फैली हुई थी। यह सीधे तौर पर किसी भी इस दावे का खंडन करता है कि पहचान कार्यवाही के दौरान हमलावरों के चेहरे अस्पष्ट थे। श्रीमती विमला देवी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना की तारीख से पहचान कार्यवाही की तारीख तक, उन्होंने पुलिस को सूचित नहीं किया था, और न ही उन्होंने परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार को यह बताया था कि उन्होंने घटना के दिन अपने घर पर अभियुक्त व्यक्तियों को देखा था और वह उनकी पहचान कर सकती हैं। यह स्वीकारोक्ति पहचान की वास्तविकता और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पहचान कार्यवाही एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे पहचान के साक्ष्य की पवित्रता बनाए रखने के लिए यथासंभव शीघ्र अवसर पर आयोजित किया जाना चाहिए। पहचान कार्यवाही कराने में देरी इसकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पहचान के साक्ष्य में किसी भी विसंगति, विरोधाभास या लोप को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और जहाँ पहचान संदिग्ध या दूषित हो, वहाँ अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, बिना किसी स्पष्टीकरण के हुई देरी और घायल साक्षी के साक्ष्य में लोप और विरोधाभासों के कारण पहचान की कार्यवाही दूषित और अविश्वसनीय हो जाती है। अभियोजन के मामले को नकारने और प्रत्यर्थीगण की दोषमुक्ति को न्यायोचित ठहराने के लिए अकेले यही पर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है।

14. विचारणीय प्रथम प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय यह मानने में न्यायोचित था कि मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल की मृत्यु की प्रकृति में मानववध थी?

15. विचारण न्यायालय ने डॉ. सावन (अ.सा.–4) के बयान पर भरोसा करते हुए, जिन्होंने प्रदर्श पी–17 के माध्यम से मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल के शव का शव परीक्षण किया था, स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल की मृत्यु की प्रकृति में मानववध थी। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है, जो न तो दोषपूर्ण है और न ही अभिलेख के विपरीत है। अन्यथा भी, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसे गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है। हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

16. अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3) और रेशमा बानो (अ.सा.–12) के बयानों के साथ–साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बावजूद प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करके सही किया है।

17. ये दोषमुक्ति निर्णय के विरुद्ध अपीलें हैं जो शिकायतकर्ता/अपीलार्थी अनिल खंडेलवाल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 के तहत और राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के तहत दायर की गई हैं। अपीलीय न्यायालयों के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय को साक्षियों के **हाव–भाव** को देखने और न्यायालय में, विशेष रूप से साक्षी–कठघरे में उनके आचरण का अवलोकन करने का लाभ प्राप्त था। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि उस स्तर पर भी अभियुक्त **संदेह के लाभ** का हकदार था। संदेह ऐसा होना चाहिए जैसा कि एक तर्कसंगत व्यक्ति अभियुक्त के दोष के संबंध में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से मन में रखे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **सी. एंथनी बनाम राघवन नायर**[1] में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक उच्च न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं, वह पूरी तरह से भिन्न परिप्रेक्ष्य के आधार पर अपनी स्वयं की राय प्रतिस्थापित नहीं करेगा।

19. **रामानंद यादव बनाम प्रभुनाथ झा**[2] में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए **बाध्यकारी और पर्याप्त कारण** मौजूद हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रक्रिया में प्रासंगिक एवं विश्वसनीय साक्ष्यों को अनुचित रूप से हटा दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप के लिए एक बाध्यकारी कारण है।

20. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप का दायरा सुस्थापित है। **तोता सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**[3] में, उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "6.....केवल यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर उस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इच्छुक है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में दर्ज निष्कर्ष से भिन्न है, दोषमुक्ति को अपास्त करने के लिए एक वैध और पर्याप्त आधार नहीं

1 AIR 2003 SC 182
2 AIR 2004 SC 1053
3 AIR 1987 SC 1083

होगा। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने में अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता इस सीमा से बंधी है कि दोषमुक्ति के आदेश में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मामले में साक्ष्य पर विचार करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण किसी **प्रकट अवैधता** से दूषित न हो या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष ऐसा न हो जिस पर तर्कसंगत और न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई भी न्यायालय संभवतः नहीं पहुँच सकता था और इसलिए, इसे विकृत कहा जा सकता है। जहाँ मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर दो दृष्टिकोण संभव हों और अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया हो जो **तर्कसंगत** हो, वहाँ अपीलीय न्यायालय कानूनी रूप से दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही उसकी यह राय हो कि साक्ष्य पर विचार करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालयों या अपीलीय न्यायालयों को विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते समय पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन का पूर्ण अधिकार है। अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आधारों पर चर्चा करे और फिर उन कारणों का खंडन करे।

22. उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों और विधिक अवधारणाओं के आलोक में, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण किया है।

23. घायल साक्षी विमला देवी (अ.सा.–3) ने बयान दिया कि मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल उनके पति थे। घटना 22 नवंबर 2013 को हुई थी। उस दिन दोपहर लगभग 3:00 से 3:30 बजे के बीच, जब उनके घर की घंटी बजी, तो उन्होंने मान लिया कि कामवाली बाई आई है। वह दरवाजा खोलने गई, और उनके पति दशरथ लाल खंडेलवाल उनके पीछे–पीछे आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण घर में घुस आए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह और उनके पति थोड़ा पीछे हट गए और अभियुक्तों से पूछा कि क्या बात है। अभियुक्तों में से एक के कंधे पर काला बैग लटका हुआ था, और दूसरे के हाथ में चाकू था। पूछे जाने पर अभियुक्तों ने कहा कि उन्हें पैसे चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि उनके बेटे का घर बगल में है और कहा कि वह वहाँ से पैसे ले आएंगी। उसी क्षण, अभियुक्तों में से एक ने उनके पेट के बाईं ओर

चाकू मार दिया। फिर, अभियुक्तों ने उन्हें घसीटकर एक कमरे में डाल दिया और उस कमरे का दरवाजा आंशिक रूप से बंद कर दिया। उनके बेटे के कमरे की घंटी का बटन उनके बिस्तर के पास लगा था, लेकिन उस समय वह काम नहीं कर रहा था। जब वह उस कमरे में थीं, तब उन्होंने बाहर से चीखें सुनीं। जब उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा, तो उसने अभियुक्त को अपने पति पर चाकू से प्रहार करते देखा। डरकर वह अपने कमरे में वापस चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, घंटी बजाई और अपने बेटे अनिल खंडेलवाल को फोन किया। हालांकि, फोन उसकी बहू ने उठाया। कुछ समय बाद, जब उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा, तो अभियुक्त जा चुके थे। उस समय, उसने अपनी बहू कुसुम खंडेलवाल को सूचित किया कि दो लड़के आए थे और उन्होंने उसके पति, मृतक खंडेलवाल पर हमला किया और भाग गए। इसके बाद वह बाहर गई और चिल्लाई। उसी क्षण उनका नौकर मुकेश आ गया। कुछ ही समय बाद, उसका बेटा अनिल खंडेलवाल और बहू कुसुम खंडेलवाल भी पहुँच गए। उसका बेटा अनिल उसके पति दशरथ खंडेलवाल को अस्पताल ले गया। चूंकि वह खुद भी घायल हो गई थी, इसलिए उसकी बहू कुसुम उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई। अभियुक्तों ने उसके पति पर चाकू से वार किया था, जिसके कारण वह कमरे के भीतर दीवान के पास खून से लथपथ पड़े थे। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 7 में, उसने कहा है कि पुलिस ने घटना के 3–4 दिन बाद अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया था। उसने केवल श्रीराम केयर अस्पताल में इलाज कराया। उसे यह याद नहीं है कि उसने प्रदर्श डी–1 में अपना बयान देते समय पुलिस को यह बताया था कि "दोनों लड़कों ने अपने चेहरे गर्दन से सिर तक स्कार्फ से ढके हुए थे, और यदि उसे सही ढंग से याद है, तो उनमें से एक ने चश्मा पहना हुआ था।" साक्षी का स्वतःस्फूर्त कथन यह है कि उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन हाथापाई के दौरान उनके स्कार्फ निकल गए थे, जिससे वह उनकी पहचान करने में सक्षम हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. **बालू सुदाम खाल्डे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[4] में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "26. जब किसी घायल प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना हो, तो न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है:
>
> (क) घटना के समय और स्थान पर एक घायल प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति पर तब तक संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके बयान में तात्त्विक विरोधाभास न हों।

4 2023 SCC OnLine SC 355

(ख) जब तक साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित न हो जाए, यह माना जाना चाहिए कि एक घायल साक्षी वास्तविक अपराधियों को भागने नहीं देगा और अभियुक्तों को झूठा नहीं फंसाएगा।

(ग) घायल साक्षी के साक्ष्य का साक्ष्य मूल्य अधिक होता है और जब तक बाध्यकारी कारण न हों, उनके बयानों को हल्के में खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) स्वाभाविक आचरण में कुछ अतिशयोक्ति या मामूली विरोधाभासों के कारण घायल साक्षी के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

(ङ) यदि घायल साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या सारहीन सजावट हो, तो ऐसे विरोधाभास या अतिशयोक्ति को घायल के साक्ष्य से हटा दिया जाना चाहिए, न कि पूरे साक्ष्य को।

(च) अभियोजन पक्ष के संस्करण के व्यापक आधार पर विचार किया जाना चाहिए और समय बीतने के साथ स्मृति लोप के कारण सामान्यतः आने वाली विसंगतियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

(बल दिया गया।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. वर्तमान मामले में, अभियोजन ने प्रदर्श पी–6 के माध्यम से पहचान कार्यवाही को सिद्ध किया है, जो अतिरिक्त तहसीलदार जय उरांव (अ.सा.–6) द्वारा कराई गई थी। जय उरांव (अ.सा.–6) ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में कहा है कि साक्षी विमला देवी खंडेलवाल को अभियुक्त विक्की @ मनोहर और विजय चौधरी की पहचान के लिए बुलाया गया था। उपरोक्त पहचान प्रक्रिया के लिए, उन्होंने अभियुक्तों के समान नाम, आयु और कद वाले लोगों के बीच पहचान प्रक्रिया आयोजित की थी। इस पहचान प्रक्रिया में, विमला देवी खंडेलवाल ने अभियुक्त विक्की @ मनोहर और विजय चौधरी के सिर पर हाथ रखकर उनकी पहचान की थी। इस पहचान प्रक्रिया के दौरान मीटिंग हॉल में कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। शिनाख्त के समय सभी का शरीर गर्दन तक चादर से ढका हुआ था। चेहरे दिखाई दे रहे थे। अभियुक्तों को पुलिस द्वारा शिनाख्त के लिए चेहरे ढककर लाया गया था। उन्होंने आगे बताया कि शिनाख्त से पहले साक्षियों और अभियुक्तों को अलग–अलग रखा गया था। अभियुक्तों के साथ शामिल किए गए व्यक्ति वे थे जो अपने–अपने मामलों के लिए तहसील कार्यालय आए थे। उनके द्वारा तैयार किया गया

शिनाख्त दस्तावेज़ प्रदर्श पी–6 है, जिस पर अभियुक्तों और साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में, उन्होंने कहा है कि पहचान कार्यवाही कराने से पहले, उन्होंने विमला देवी से यह नहीं पूछा था कि उन्होंने अभियुक्तों को कब और कैसे देखा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पहचान की कार्यवाही में शामिल किए गए अन्य व्यक्ति न्यायालय के कर्मचारी थे। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि वे न्यायालय आए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यवाही में शामिल होने वाले पक्षों के चेहरे ढके नहीं थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पहले गवाहों को कतार में खड़ा किया और फिर अभियुक्तों को अंत में खड़ा किया। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 7 में, इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि विमला देवी ने किसी भी अभियुक्त की पहचान नहीं की थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने विमला देवी द्वारा अभियुक्तों की पहचान के संबंध में प्रदर्श पी–6 को झूठे तरीके से तैयार किया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने विमला देवी के साथ पहचान कार्यवाही आयोजित नहीं की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उच्चतम न्यायालय ने **मलखान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[5] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "7. यह कहना सुस्थापित है कि सारवान साक्ष्य न्यायालय में की गई शिनाख्त का साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, कानून की स्थिति इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा सुस्थापित है। वे तथ्य, जो अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। सामान्य नियम के रूप में, किसी साक्षी का सारवान साक्ष्य न्यायालय में दिया गया कथन होता है। विचारण के दौरान पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की केवल शिनाख्त का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही अंतर्निहित रूप से कमजोर चरित्र का होता है। इसलिए, पूर्व पहचान कार्यवाही का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे सुदृढ़ करना है। तदनुसार, पूर्व शिनाख्त कार्यवाही के रूप में, उन अभियुक्तों की

5 (2003) 5 SCC 746

पहचान के संबंध में न्यायालय में साक्षियों के शपथबद्ध साक्ष्य की संपुष्टि खोजना विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है जो उनके लिए अजनबी हैं। विवेक का यह नियम, हालांकि, अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब न्यायालय किसी विशेष साक्षी से प्रभावित होता है जिसके साक्ष्य पर वह ऐसी या अन्य संपुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। पहचान कार्यवाही अन्वेषण के चरण से संबंधित है, और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो अन्वेषण एजेंसी को पहचान कार्यवाही कराने के लिए बाध्य करता हो, या अभियुक्त को पहचान कार्यवाही का दावा करने का अधिकार प्रदान करता हो। वे सारवान साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये पहचान कार्यवाही अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होते हैं। पहचान कार्यवाही कराने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बनाएगी। तथ्य के न्यायालयों को ऐसी पहचान को महत्व दिया जाना चाहिए। उपयुक्त मामलों में यह संपुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है।"
(बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. रेशमा बानो (अ.सा.–12) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपने कथन (प्रदर्श पी–17) में कहा है कि घटना के एक या दो दिन बाद, नवंबर में किसी समय, उसने विक्की के हाथ पर चोट देखी। जब उसने पूछा, तो उसने बताया कि यह सरकंडा में एक दुर्घटना के कारण हुआ था। हालांकि, चोट को देखकर उसे नहीं लगा कि यह किसी दुर्घटना के कारण लगी है। फिर उसने विजय से पूछा, और उसने उसे बताया कि वे दोनों गए थे और विक्की ने एक हत्या की थी। कंडिका 3 में, उसने कहा है कि उसने विक्की से इस बारे में पूछा, लेकिन पहले उसने उसे कुछ नहीं बताया। बाद में, उसने कहा कि उसने खंडेलवाल परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या की है। जब उसने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि यह किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण था।

28. रेशमा बानो (अ.सा.–12) ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन के कंडिका 4 में कहा है कि घटना के तीन दिन बाद, विक्की सिंह ने उसे फोन किया और अचानक घोषणा की कि उसने हत्या की है। उसने शुरू में सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन फिर उसने कहा कि उसके साथ दुर्घटना हो गयी है। उसने फिर कहा कि "अगले दिन उसने अखबार में पढ़ा कि एक खंडेलवाल व्यक्ति की हत्या कर दी गई है।" अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 12 में, उसने इस बात से इनकार किया कि विक्की ने उसे फोन पर सूचित नहीं किया था कि उसने हत्या की है। जब उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दिया, तो उसने कहा कि विक्की ने हत्या कारित करने के संबंध में उसके सामने फोन पर स्वीकारोक्ति की थी।

29. उच्चतम न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम राजा राम**[6] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति , यदि वह स्वैच्छिक और सत्य है तथा स्वस्थ मानसिक स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। यह निम्नानुसार देखा गया था:–

> "19. एक न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सत्य है तथा स्वस्थ मानसिक स्थिति में की गई है, तो न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह सिद्ध करना होगा। स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का मूल्य, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, उस साक्षी की सत्यवादिता पर निर्भर करता है जिसके सामने वह की गई है। स्वीकारोक्ति के साक्ष्य का मूल्य उस साक्षी की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो साक्ष्य देता है। किसी भी न्यायालय के लिए इस धारणा के साथ शुरुआत करना संभव नहीं है कि न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, स्वीकारोक्ति किए जाने के समय और ऐसे स्वीकारोक्ति के बारे में बोलने वाले साक्षियों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। ऐसी स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है और दोषसिद्धि उस पर आधारित हो सकती है यदि स्वीकारोक्ति के बारे में साक्ष्य उन साक्षियों के मुख से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, अभियुक्त के प्रति दूर–दूर तक शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है जो यह संकेत दे सके कि उनके पास अभियुक्त पर असत्य कथन मढ़ने का कोई हेतु हो सकता है, साक्षी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध हैं और अचूक रूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6 (2003) 8 SCC 180

से यह बताते हैं कि अभियुक्त ही अपराध का अपराधी है और साक्षी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके विरुद्ध जाता हो। विश्वसनीयता की कसौटी पर साक्षी के साक्ष्य के कठोर परीक्षण के बाद, न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है यदि वह विश्वसनीयता के परीक्षण में सफल होती है।"

30. विचाराधीन मामले में, अभियुक्त विक्की सिंह @ मनोहर सिंह का प्रकणीकरण कथन दिनांक 25.03.2014 को प्रदर्श पी–18 के माध्यम से दर्ज किया गया था और उसके प्रकणीकरण कथन के आधार पर, उसके कब्जे से खून के धब्बों वाला चाकू, खून के धब्बों वाली फुल शर्ट और खून के धब्बों वाली जींस पैंट जब्त की गई थी। अभियुक्त विजय चौधरी का प्रकणीकरण कथन दिनांक 25.03.2014 को प्रदर्श पी–19 के माध्यम से दर्ज किया गया था और उसके प्रकणीकरण कथन के आधार पर, उसके कब्जे से खून के धब्बों वाली फुल पैंट और खून के धब्बों वाला चाकू जब्त किया गया था। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी–70) के अनुसार, अभियुक्त विक्की से जब्त की गई वस्तु 'K' यानी पैंट पर मानव रक्त पाया गया और अभियुक्त विजय चौधरी से जब्त की गई वस्तु 'A' यानी पैंट और वस्तु 'B' यानी चाकू पर रक्त पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. इस स्तर पर, **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27** का उल्लेख करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: –

> **"27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।"

32. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 केवल तभी लागू होती है जब संस्वीकृति कथन स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित हो जिसका उसके द्वारा पता चला है।

33. उच्चतम न्यायालय ने **असर मोहम्मद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[7] के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में प्रयुक्त **"तथ्य"** शब्द के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया है कि

7 AIR 2018 SC 5264

तथ्यों का स्वतः–सिद्ध होना आवश्यक नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में परिकल्पित "तथ्य" शब्द "वास्तविक भौतिक सामग्री वस्तु" तक ही सीमित नहीं है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि तथ्य का प्रकटीकरण इस कारण से होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी किसी विशेष स्थान पर उसकी मौजूदगी के संबंध में सुचना देने वाले के ज्ञान या मानसिक जागरूकता को प्रदर्शित करती है और इसमें किसी वस्तु की खोज, वह स्थान जहाँ से उसे प्रस्तुत किया गया है और उसकी मौजूदगी के संबंध में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है। उनकी लॉर्डशिप ने प्रिवी काउंसिल के **पुलुकुरी कोटय्या बनाम किंग एम्परर**[8] के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार अवलोकन किया: –

> "13. यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि तथ्यों का स्वतः–सिद्ध होना आवश्यक नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में परिकल्पित 'तथ्य' शब्द 'वास्तविक भौतिक सामग्री वस्तु' तक सीमित नहीं है। तथ्य का प्रकटीकरण इस कारण से होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी किसी विशेष स्थान पर उसकी मौजूदगी के संबंध में सुचना देने वाले के ज्ञान या मानसिक जागरूकता को प्रदर्शित करती है। इसमें किसी वस्तु की खोज, वह स्थान जहाँ से उसे प्रस्तुत किया गया है और उसकी मौजूदगी के संबंध में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है। **वसंत संपत दुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[9] के मामले में की गई व्याख्या, विशेष रूप से उसके कंडिका 23 से 29 को संदर्भित करना उपयोगी होगा। वे इस प्रकार हैं:
>
> '23. प्रकटीकरण के कारकों को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रिवी काउंसिल ने **पुलुकुरी कोटय्या बनाम किंग एम्परर** (पूर्वोक्त) में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:
>
> "... धारा के भीतर 'पता चले हुए तथ्य' को प्रस्तुत की गई वस्तु के बराबर मानना दोषपूर्ण है; पता चले हुए तथ्य में वह स्थान जहाँ से वस्तु प्रस्तुत की गई है और इसके संबंध में अभियुक्त का ज्ञान शामिल है, और दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तुत की गई वस्तु के पिछले उपयोग या पिछले इतिहास के संबंध में जानकारी, उस परिवेश में उसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें उसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8 AIR 1947 PC 67
9 (2015) 1 SCC 253

खोजा गया है। हिरासत में मौजूद व्यक्ति द्वारा दी गई यह जानकारी कि 'मैं अपने घर की छत में छिपा हुआ चाकू पेश करूँगा' एक चाकू की खोज की ओर नहीं ले जाती है; चाकुओं की खोज कई साल पहले हुई थी। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि सुचना देने वाले की जानकारी में उसके घर में एक चाकू छिपा हुआ है, और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि चाकू का उपयोग अपराध करने में किया गया था, तो पता चला तथ्य अत्यंत प्रासंगिक है। लेकिन यदि कथन में 'जिससे मैंने A को चाकू मारा' शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तो ये शब्द अग्राह्य हैं क्योंकि वे सुचना देने वाले के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।'

xxx xxx xxx"

34. उच्चतम न्यायालय ने **'पेरुमल राजा उर्फ पेरुमल बनाम राज्य, प्रतिनिधि: पुलिस निरीक्षक'**[10] के मामले में 'अभिरक्षा' को परिभाषित किया है। इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रयुक्त 'अभिरक्षा' शब्द का अर्थ केवल औपचारिक अभिरक्षा नहीं है। इसमें पुलिस द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, अवरोध या यहाँ तक कि निगरानी भी शामिल है। भले ही जानकारी देते समय अभियुक्त को औपचारिक रूप से गिरफ्तार न किया गया हो, फिर भी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में ही माना जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. उच्चतम न्यायालय ने **'बोबी बनाम केरल राज्य'**[11] के मामले में अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में निहित मूल विचार 'पश्चातवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत' है। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई तलाशी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। जानकारी प्रकृति में संस्वीकृति या गैर–अभियोगात्मक हो सकती है, लेकिन यदि इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज होती है, तो यह एक विश्वसनीय जानकारी बन जाती है। धारा 27 संस्वीकृति कथन के उपयोग पर रोक लगाती है, लेकिन वह तथ्य जिसकी खोज हुई है और वह जानकारी जो विश्वसनीय सिद्ध हुई है, एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य होगी।

---

10 2024 SCC OnLine SC 12

11 2023 SCC OnLine SC 50

36. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, घायल प्रत्यक्षदर्शी विमला देवी (अ.सा.–3) और रेशमा बानो (अ.सा.–12) के बयानों के साथ–साथ पहचान कार्यवाही (प्रदर्श पी–6), अभियुक्तों के संस्वीकृति कथनों और जब्त वस्तुओं पर मानव रक्त की पुष्टि करने वाली फोरेंसिक रिपोर्टों जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में त्रुटि की है। घायल प्रत्यक्षदर्शी विमला देवी का साक्ष्य विश्वसनीय है और **'बालू सुदाम खाल्डे'** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है।

37. श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3), जिनकी आयु साक्ष्य दर्ज करते समय लगभग 76 वर्ष थी, ने ऐसा साक्ष्य दिया है जो सदमे और समय बीतने के कारण होने वाले मामूली विरोधाभासों और लोप के बावजूद, निर्विवाद रूप से घटनास्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति, उनके जबरन प्रवेश और उनके पति को चाकू मारने की घटना को स्थापित करता है। घायल साक्षी का आचरण, जो सहायता प्राप्त करने और हमलावरों की पहचान करने के उनके त्वरित प्रयासों से स्पष्ट है, उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बढ़ाता है। अतिरिक्त तहसीलदार जय उरांव (अ.सा.–6) द्वारा आयोजित पहचान कार्यवाही कानूनी और उचित तरीके से की गई थी, जो शिनाख्त प्रक्रिया के दौरान किसी भी अनुचित प्रभाव या पुलिसकर्मियों की उपस्थिति से मुक्त थी। यह तथ्य कि पहचान कार्यवाही के दौरान श्रीमती विमला देवी द्वारा अभियुक्तों की पहचान की गई थी, जिसे विधिवत दर्ज किया गया और प्रदर्श पी–6 के रूप में प्रदर्शित किया गया, शिनाख्त प्रक्रिया की विश्वसनीयता की पुष्टि करता है। इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने **'मलखान सिंह'** (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि पहचान कार्यवाही अन्वेषण का हिस्सा है और स्वयं में सारवान साक्ष्य नहीं है, फिर भी वे न्यायालय में की गई शिनाख्त की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बल प्रदान करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. रेशमा बानो (अ.सा.–12) का कथन अभियुक्त विक्की सिंह द्वारा हत्या करने की स्वयं की स्वीकारोक्ति को प्रकट करके अभियोजन पक्ष के मामले की संपुष्टि करता है। उसके समक्ष की गई स्वीकारोक्ति, हालांकि पुलिस या अदालत के समक्ष औपचारिक संस्वीकृति नहीं है, फिर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत ग्राह्य है, क्योंकि इसके कारण अपराध–बोधक तथ्यों का पता चला, अर्थात अभियुक्तों से जब्त किए गए खून से सने कपड़े और चाकू। दोनों अभियुक्तों से खून से सनी वस्तुओं की जब्ती और मानव रक्त की उपस्थिति की पुष्टि करने वाली न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी–70) बयानों और स्वीकारोक्ति से संबंधित साक्ष्यों की और अधिक पुष्टि करती है। यह भौतिक साक्ष्य घायल प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य और अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुरूप है, जिससे अभियोजन का मामला सुदृढ़ होता है।

39. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में कानूनी सिद्धांत, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **'असर मोहम्मद'** (पूर्वोक्त) और **'पेरुमल राजा'** (पूर्वोक्त) में स्पष्ट किया गया है, यहाँ पूरी तरह लागू होते हैं। अपराध–बोधक वस्तुओं की बरामदगी की ओर ले जाने वाले बयान देते समय अभियुक्त अभिरक्षा में या पुलिस की निगरानी में थे, जिससे यह खोज प्रासंगिक और ग्राह्य हो जाती है।

40. हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि घटना 22.11.2013 को हुई थी और तब से काफी समय बीत चुका है। हालांकि, वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के विरुद्ध **ठोस विधिक साक्ष्य** की उपस्थिति के बावजूद, विचारण न्यायालय ने, खेदजनक रूप से, अपने निष्कर्षों को पूरी तरह से **अनुमानों और अटकलों** पर आधारित किया है। विशेष रूप से, विचारण न्यायालय ने घायल साक्षी, श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3) के साक्ष्य पर अविश्वास किया है, जिनका साक्ष्य अभिलेख पर महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है। विचारण न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण एक **विकृत निष्कर्ष** की कोटि में आता है, क्योंकि यह बिना किसी न्यायोचित आधार के अखंडित और विश्वसनीय साक्ष्य की उपेक्षा करता है। परिणामतः, आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. पूर्वगामी कारणों से, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **'सी. एंथनी'**, **'रामानंद यादव'** और **'तोता सिंह'** (पूर्वोक्त) के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, न्याय के उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है। परिणामतः, दोनों दोषमुक्ति अपीलें स्वीकार की जाती हैं। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 63/2014 में पारित आक्षेपित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक 16.05.2016 को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। मृतक दशरथ लाल खंडेलवाल की हत्या कारित करने के लिए, अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को **भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34** के तहत दोषसिद्ध किया जाता है और **आजीवन कठोर कारावास** तथा 1,000/– रुपये प्रत्येक के अर्थदंड से दंडित किया जाता है; अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम (default) की दशा में, उन्हें 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। घायल श्रीमती विमला देवी (अ.सा.–3) के शरीर पर चोट पहुँचाकर उनकी हत्या करने के प्रयास के लिए, उन्हें **IPC की धारा 307/34** के तहत दोषसिद्ध किया जाता है और **10 वर्ष के कठोर कारावास** तथा 200/– रुपये प्रत्येक के अर्थदंड से दंडित किया जाता है; अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में, उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

निर्देश दिया जाता है कि दोनों दंडादेश साथ साथ भुगताया जाये।

42. अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को भुगतने के लिए आज से एक माह की अवधि के भीतर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष आत्मसमर्पण करें। ऐसा करने में विफल रहने पर, विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सजा भुगतने हेतु अभिरक्षा में लिया जाएगा और इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

43. आवश्यक सूचना और अनुपालन हेतु इस निर्णय की एक प्रति और मूल अभिलेख तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित किए जाएं।

सही /– **(बिभु दत्त गुरु)** न्यायाधीश	सही /– **(रमेश सिन्हा)** मुख्य न्यायाधिपति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शीर्ष–नोट

आहत साक्षी के साक्ष्य पर सामान्यतः गौण विरोधाभासों और लोप के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है तथा ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है यदि वह अन्य अभियोगात्मक कारकों और बरामद वस्तुओं से सम्पुष्ट होता हो।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur